

क्रमांक: निदे / प.7(i)4 / जांच / 2024 ई-04890

दिनांक-यथा हस्ताक्षरित

आदेश

श्री दीक्षान्त त्यागी पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अंतर्गत निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग के आदेश क्रमांक: निदे/नियु/7/प-मृआ/2021/379 दिनांक 20.04.2022 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री त्यागी ने दिनांक 09.05.2022 को कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री दीक्षान्त त्यागी अपने पदस्थापन कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर से बिना पूर्वानुमति अथवा सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए, स्वेच्छा से दिनांक 27.10.2022 से निरंतर एवं अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। इससे पूर्व भी वे कई अवसरों पर बिना किसी वैध कारण अथवा सूचना के स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे हैं। नियंत्रण अधिकारी द्वारा इस अनुशासनहीनता एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु श्री त्यागी को नोटिस दिनांक 30.09.2022, 14.10.2022, 14.11.2022 एवं राजस्थान सेवा नियम के नियम-86(3) के अंतर्गत अवसर प्रदान करते हुए नोटिस दिनांक 13.02.2023 को जारी किए गए। तथापि, कार्मिक श्री त्यागी द्वारा किसी भी नोटिस का न तो कोई प्रत्युत्तर दिया गया और न ही कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई।

श्री दीक्षान्त त्यागी द्वारा राजकीय कार्यों के प्रति घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के सर्वथा विपरीत पाए जाने पर, उनके विरुद्ध 'राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करते हुए निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक: निदे/प-7(1)4/जांच/2024 ई-04890 दिनांक 05.04.2024 द्वारा आरोप-पत्र जारी किया गया।

श्री दीक्षान्त त्यागी को जारी ज्ञापन से जारी आरोपों की निष्पक्ष एवं विधिवत जांच हेतु निदेशालय द्वारा आदेश दिनांक 08.05.2025 से अधीक्षण खनि अभियन्ता (मुख्यालय-प्रथम) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांच अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपचारी कर्मचारी को अपना पक्ष, साक्ष्य तथा प्रतिवाद प्रस्तुत करने हेतु पत्र दिनांक 24.06.2026, 18.05.2026, 22.06.2026 एवं 03.07.2026 के माध्यम से पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए गए। इसके बावजूद श्री त्यागी न तो व्यक्तिगत रूप से जांच में सम्मिलित हुए



और न ही उनके द्वारा कोई लिखित अभ्यावेदन, साक्ष्य अथवा बचाव प्रलेख प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच उपरांत अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि:—

“अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने विरुद्ध अधिरोपित गंभीर आरोपों के प्रतिवाद में कोई जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत न करना यह सिद्ध करता है कि उसके पास अपने बचाव में कहने हेतु कुछ भी नहीं है तथा उस पर अधिरोपित अनाधिकृत एवं स्वेच्छाचारितापूर्ण अनुपस्थिति के आरोप स्वतः प्रमाणित होते हैं।”

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा पत्र दिनांक 18.08.2026 द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति श्री त्यागी को प्रेषित करते हुए उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर अपना स्पष्ट पक्ष रखा जाने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु नियत अवधि बीत जाने के पश्चात भी अपचारी कार्मिक द्वारा कोई अभ्यावेदन अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सुसंगत अभिलेखों, जांच अधिकारी के निष्कर्षों तथा अपचारी कर्मचारी के आचरण का विधिपूर्वक एवं सूक्ष्मता से परिशीलन करने के उपरांत अधोहस्ताक्षकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि:—

- श्री दीक्षान्त त्यागी वर्तमान में परिवीक्षाकाल में है।
- श्री दीक्षान्त त्यागी बिना किसी वैध प्राधिकार एवं सूचना के दिनांक 27.10.2022 से आज दिनांक तक अनाधिकृत एवं निरंतर अनुपस्थित हैं।
- श्री दीक्षान्त त्यागी को अपना पक्ष रखने के लिए नैसर्गिक न्याय के तहत पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परंतु उन्होंने अनुशासनिक प्रक्रिया की पूर्ण उपेक्षा की।
- श्री दीक्षान्त त्यागी का आचरण स्पष्ट करता है कि कर्मचारी का राजकीय सेवा एवं पदीय दायित्वों के प्रति कोई समर्पण नहीं है तथा वे राजकीय सेवा में बने रहने के कतई इच्छुक नहीं हैं।
- श्री दीक्षान्त त्यागी का परिवीक्षाकाल संतोषप्रद नहीं है।
- अतः श्री दीक्षान्त त्यागी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत अधिरोपित आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध एवं प्रमाणित हैं।

अतः **श्री दीक्षान्त त्यागी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** को राजस्थान सेवा नियम के नियम-86(3) एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-14 के तहत **राजकीय सेवा से हटाए जाने (Removal from Service)** के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

(एम.पी.मीणा)

निदेशक

खान एवं भू विज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर।



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर, जोन-जयपुर को श्री त्यागी की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से इन्द्राज कर, इन्द्राज की सूचना भिजवाने हेतु।
4. वरिष्ठ निजी सचिव-निदेशक/अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), के.का.,उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), DMGOMS, के.का.,को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. नियुक्ति अनुभाग, सम्बन्धित लिपिक, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर।
7. श्री दीक्षान्त त्यागी द्वारा-अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर को भेज कर लेख है कि रजिस्टर्ड पते पर तामील करा, तामील रसीद निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
8. स्ट्रेन्थ लिपिक/रोकपाल, के.का, उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

